बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक 23-10-18

संख्या–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 13978 / व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–11940 दिनांक 15.09.2017 द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को छः माह के लिए तदर्थ रूप से पुर्ननियुक्त किया गया। तदुपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–6018 दिनांक 11.05.2018 द्वारा 6 (छः) माह की अवधि विस्तारित की गयी।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–69186 दिनांक 14.09.2018 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित पीठासीन पदाधिकारियों के पदों पर कार्यरत् कुल 05 (पाँच) सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उनकी तदर्थ नियुक्ति की तिथि से बारह माह पूरा होने के पश्चात् से छः माह तक पुनर्नियोजन की अवधि के विस्तार की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र0	नाम	पदस्थापन	योगदान की तिथि
1	श्री रविन्द्र मणि त्रिपाठी	रोहतास (सासाराम)	23.09.2017
2	श्री पारस नाथ शर्मा	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	23.09.2017
3	श्री प्रभात शंकर सिन्हा	नवादा	19.09.2017
4	श्री हरि दयाल पटेल	सहरसा	23.09.2017
5	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा	पूर्णियाँ	06.10.2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
23.10.18
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 13978 पटना–15, दिनांक 23-10-18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

23.10.18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 13978 पटना–15, दिनांक 23-10-18

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–69186 दिनांक 14.09.2018 के प्रसंग में / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना / सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधि

23.10.18
सरकार के अवर सचिव।

D:DRIVE\SEC 01\NOTIFICATION